

सं. ई-11012/1/2017-हिंदी
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 27 मई, 2019

आदेश

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10(4) के अनुसार यदि भारत सरकार के किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों की संख्या के 80 प्रतिशत को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो एक अधिसूचना के माध्यम से ऐसे कार्यालय का नाम प्रकाशित किया जाता है। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय 02 अक्टूबर, 1981 से उक्त नियम के अधीन अधिसूचित है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के उपबंधों के अनुसरण निम्नलिखित अनुभागों को हिंदी में कार्य करने के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. स्थापना-I | 8. कृषि मजदूरी |
| 2. स्थापना-II | 9. पावती एवं प्रेषण अनुभाग |
| 3. सामान्य अनुभाग | 10. खाद्यान्न अर्थ अनुभाग |
| 4. लेखा, बजट एवं रोकड़ अनुभाग | 11. लागत अध्ययन अनुभाग |
| 5. समन्वय अनुभाग | 12. अंतर्राष्ट्रीय कृषि संकलन |
| 6. पुस्तकालय | 13. कृषि आर्थिक अनुसंधान |
| 7. हिंदी अनुभाग | 14. फसल पूर्वानुमान समन्वय केंद्र |

और यह आदेश दिया जाता है कि वे फाइलों में टिप्पणी लेखन के साथ निम्नलिखित कार्य केवल हिंदी में करें:

(क) 'क' और 'ख' क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना अथवा उनकी पावती/अन्तरिम उत्तर हिन्दी में जारी करना।

(ख) पावती, अनुस्मारक, शून्य रिपोर्टें, अग्रोषण पत्र, संपत्ति विवरणी, सामान्य भविष्य निधि एवं अवकाश संबंधी कार्य हिन्दी में किए जाएं।

(ग) सेवा पंजियों और रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएं।


(के. एल. प्रसाद)
प्रधान सलाहकार

प्रति:

सहायक निदेशक/अनुभाग अधिकारी/आर्थिक अधिकारी/वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, स्थापना-I, स्थापना-II, सामान्य अनुभाग, लेखा, बजट एवं रोकड़ अनुभाग, समन्वय अनुभाग, पुस्तकालय, हिंदी अनुभाग, कृषि मजदूरी, पावती एवं प्रेषण अनुभाग, खाद्यान्न अर्थ अनुभाग, लागत अध्ययन अनुभाग, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संकलन, कृषि आर्थिक अनुसंधान, फसल पूर्वानुमान समन्वय केंद्र

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. श्री पी. सी. बोध, सलाहकार
2. श्री पी. आर. मेश्राम, सलाहकार
3. श्री पी. संगीत कुमार, सलाहकार
4. श्री राम कर्ण, सलाहकार
5. श्री आर. सतीश, सलाहकार
6. श्री अमिताभ प्रधान, सलाहकार
7. श्रीमती नवनीता गोगोई, सलाहकार
8. श्री बत्तू लाल मीणा, अपर आर्थिक सलाहकार
9. श्री एस. सुरेश कुमार, अपर सांख्यिकी सलाहकार
10. श्री राहुल शर्मा, निदेशक
11. श्री राकेश वर्धन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी को डीईएस की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।


(सविता सिंह)

सहायक निदेशक (रा.भा.)